अपील सूचना अधिकार संख्या 13/2021 (GCMS 2021/24) देवेन्द्र नारायण शर्मा, निवासी 67 चाणक्य नगर, नई शिवबाड़ी रोड़, बीकानेर – 334003 (राज.) मो.न. – 98290–81780 बनाम उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.03.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी देवेन्द्र नारायण शर्मा स्वयं उपस्थित हुआ और उसने कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 09.11.2020 के द्वारा सूचना चाही थी जो उसे उनके द्वारा आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से सूचनाएं दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी देवेन्द्र नारायण शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.11.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी :

> मिसल नम्बर 79/1986 मूल फाईल एस.डी.एम. रायसिंहनगर निर्णय दिनांक 25.03.1989
>
> 1930/72 मूल फाईल निर्णय दिनांक 25.11.1972 ए.सी.सी.आर.सी.पी. (सूरतगढ़) रायसिंहनगर मुकाम सूरतगढ श्री सत्यनारायण, जेठी देवी 1 जे.एस.डी. और बाद निर्णय 25.03.1989 को एस.डी.एम., रायसिंहनगर 79/1986 मूल फाईल की समस्त प्रतिलिपि प्रदान करने का कष्ट करें।

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक सूकाअ/21/2074 दिनांक 02.03.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है:

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अपीलार्थी देवेन्द्र नारायण शर्मा निवाासी 67 चाणक्य नगर, नई शिवबाड़ी रोड, बीकानेर के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मिसल नम्बर 79/1986 निर्णय 25.03.1989 सत्यनारायण, जेठी देवी चक 1 जेएसडी की मूल आवंटन की पत्रावली की नकल चाही गई है। उक्त पत्रावली की तलाश हेतु कार्यालय हाजा के कार्मिकों की कमेटी गठित कर कार्यालय रिकॉर्ड की जांच करवाई गई। उक्त पत्रावली दायरा रजिस्टर में दर्ज है परन्तु निर्णित पत्रावलियों में उक्त निर्णय दिनांक का ऐसी कोई पत्रावली नहीं पाई गई है। अतः प्रार्थी द्वारा निर्णय की तारीख सही अंकित होना नही पाई गई है, प्रार्थी द्वारा निर्णय की सही तारीख से अवगत करवाया जाता है अथवा निर्णय दिनांक से संबधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता है तो प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाई जा सकती है।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने उक्तानसार जो जवाब दिया है वो सही है उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं देखते हुए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अगर अपीलार्थी द्वारा वांछित पत्रावली दायरा रजिस्टर में दर्ज है तो उससे प्रकरण संख्या, अनवान के आधार पर निर्णित पत्रावली के रजिस्टर के अनुसार अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार सूचना उपलब्ध करवाई जा सकती है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एव उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि उक्त विवेचन के आधार पर दायर रजिस्टर एवं निर्णय रजिस्टर के आधार पर यदि वांछित अभिलेख उपलब्ध हो जाता है तो अपीलार्थी को निर्णय प्राप्ति के 10 दिवस में सूचना उपलब्ध करवा दी जावे। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकरी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर